संख्या–भा0स0–06 / 14–2–2017–800 (183) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी 2017**

विषयः– हरदोई में शाहजहांपुर–हरदोई मार्ग (एस0एच0–25) किमी0 135–136) के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम–सैदपुर तहसील शाहाबाद के खसरा संख्या–200 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065348 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / 06 / 01 / 2017 / एफसी / 97, दिनांक 12–01–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 08 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण का संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव की 02 प्रतियों को प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 12–01–2017 में उल्लिखित 08 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि 02प्रस्ताव।

भवदीय,

B Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।